राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I 59000   जयपुर, दिनांकः– 1/10/2014

कार्यालय आदेश 29/2014

राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 नियम 4.3 में प्रदत्त शक्तियों के तहत् विशिष्ट पंजीयन नम्बर आवंटित करने एवं वाहन स्वामी को पूर्व में आवंटित पंजीयन क्रमांक को नये वाहन पर रिटेन करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी करने के प्रयोजनार्थ इस संबंध में पूर्व जारी कार्यालय आदेश 31.01.2003 एवं समय–समय पर जारी अन्य दिशा–निर्देशों की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि:–

1. वाहनों की किसी भी श्रेणी में अग्रिम पंजीयन क्रमांक की नई सीरीज प्रारंभ होने का अनुमान किया जाकर नई सीरीज प्रारंभ करने के 7 कार्य दिवस पूर्व राज्य स्तरीय मुख्य दैनिक समाचार पत्र के स्थानीय संस्करण में जन साधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी जावे।
2. विज्ञप्ति के अखबार में प्रकाशन के 7 कार्य दिवस तक अग्रिम पंजीयन क्रमांको हेतु आवेदन प्राप्त किए जावें।
3. जिन पंजीयन क्रमांको हेतु एक ही आवेदन प्राप्त हुआ हो, उन्हें 8 वें कार्य दिवस पर वांछित पंजीयन क्रमांक आवंटित किया जावे तथा जिन पंजीयन क्रमांकों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त हो, उनकी नीलामी हेतु दिनांक तय किया जाकर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार नीलामी कर पंजीयन क्रमांक आवंटित किए जाएं।
4. नीलामी प्रक्रिया में अधिकतम बोली लगाने वाले आवेदक से अंतिम बोली की राशि में से न्यूनतम एक चौथाई राशि मौके पर ही राजकोष में भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा एवं शेष राशि नीलामी की दिनांक से अधिकतम 3 कार्य दिवस में भुगतान की जाएगी, इसके अभाव में नीलामी निरस्त की जाएगी तथा अंतिम बोली दाता आवेदक द्वारा आवेदन के साथ संलग्न की गयी न्यूनतम शुल्क राशि (विशिष्ट पंजीयन क्रमांक हेतु अधिसूचित राशि) एवं भुगतान की गयी नीलामी की अंतिम बोली की एक चौथाई राशि जब्त कर राजकोष के विविध मद में जमा करवा दी जावेगी। नीलामी निरस्त किए जाने की स्थिति में संबंधित पंजीयन क्रमांक हेतु नये सिरे से पुनः नीलामी प्रक्रिया की जाएगी तथा चूककर्त्ता (Defaulter) आवेदक की वाहन को नियमित पंजीयन क्रमांक आवंटित किए जाएगें।
5. उपरोक्त 7 कार्य दिवस की अवधि पश्चात् प्राप्त होने वाले (अन्य पंजीयन क्रमांको हेतु) आवेदनों पर वांछित अग्रिम पंजीयन क्रमांक का आवंटन आवेदन प्राप्ति के 24 घंटे के पश्चात् पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया जावे।

प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः— प 7(198)परि/नियम/मु/2006/पार्ट I/59001-008 जयपुर, दिनांकः— 1/10/2014

प्रतिलिपिः—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
3. मुख्यालय अधिकारीगण..(समस्त)।
4. अपर परिवहन आयुक्त, जोन...(समस्त)।
5. प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ....(समस्त)।
6. जिला परिवहन एवं पंजीयन अधिकारी ....(समस्त)।
7. श्री संजय सिंघल, ए.सी.पी. को विभागीय वेबसाईट में अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)